न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 03/2022
रजि.संख्या : 2022/00031

प्रार्थी :–		अप्रार्थी :–
सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय, बॉसवाडा	बनाम	श्री वैभव जैन पुत्र श्री कनकमल जैन, निवासी खान्दु कोलोनी, बांसवाडा प्रोपराईटर – बालाजी ओटो गैस, चेतक कॉम्प्लेक्स, बॉसवाडा (राज.)

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि

श्री भूपेन्द्र जैन, श्री नीरज पटेल –अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा लिक्यूफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन आफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000

दिनांक :– 24–06–2022

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा के निर्देशानुसार मैसर्स बालाजी ओटो गैस, चेतक कॉम्प्लेक्स, बॉसवाडा द्वारा अवैध रुप से वाहनो में गैस भरने की सूचना के सम्बन्ध में श्री मणि खींची प्रवर्तन अधिकारी, श्री धर्मेन्द्र रोत प्रवर्तन निरीक्षक एवं विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक ने मौके पर जाकर जांच एवं तलाशी की गई जिसमें निम्न तथ्य पाये गये :–

1. चेतक कॉम्प्लेक्स में दुकान नं. 16 में बालाजी ऑटो गैस नामक दुकान संचालित है। मौके पर फर्म के प्रोपराईटर श्री वैभव/कनकमल जैन उपस्थित थे। इनके द्वारा बताया गया कि फर्म आईएसओ सर्टिफाईड कम्पनी अनुप इण्डस्ट्रीज द्वारा वाहनो में सीएनजी किट इन्सटॉल करने के लिये अधिकृत किया है। मौके पर अनुप इण्डस्ट्रीज का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।
2. मौके पर फर्म परिसर की जॉच में सीएनजी [illegible] के साथ 8 घरेलु सिलेण्डर पाये गये। इनमें से एक सिलेण्डर [illegible] आगे की [illegible] रखा था, जिसके पास वाहनो में गैस भरने के लिये रबर ट्यूब [illegible] रखी पायी गई। दुका[illegible]छे की

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:03:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

तरफ केबिन में 7 सिलेण्डर रखे पाये गये। उक्त सिलेण्डर के बारे में श्री वैभव जैन द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया।

3. मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 8 घरेलु सिलेण्डर का भण्डारण पाये जाने एवं मोटर की सहायता से वाहनो में अवैध रुप से एलपीजी भरने की शिकायत के आधार पर 8 घरेलु सिलेण्डर मय एलपीजी एवं एलपीजी सिलेण्डरो से वाहनो में ट्रांसफर करने में उपयोग में ली जाने वाली रबर ट्युब एवं रेग्यूलेटर लगी मोटर को जब्त करने की कार्यवाही की गई एवं मैसर्स शहीद रामचन्द्र गैस ऐजेन्सी, बॉसवाडा के समक्ष गैस का तौल किया, जिसका विवरण निम्नानुसार है –

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेंडर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	सिलेंडर पर अंकित वजन	गैस का शुद्ध वजन
1	HP Gas	775645 T	30.000	15.900	14.100
2	HP Gas	73665 T	29.400	15.300	14.100
3	HP Gas	342620	29.500	15.400	14.100
4	HP Gas	499234T	29.700	15.600	14.100
5	HP Gas	34398	29.900	15.700	14.200
6	HP Gas	288965	29.500	15.500	14.000
7	भारत गैस	164699S	16.300	15.900	0.400
8	रिलायन्स	104410T	23.100	16.600	6.500

इस प्रकार मौके पर 8 घरेलु गैस सिलेण्डरो में 91.500 किग्रा. गैस पाई गई।

दुकानदार द्वारा बिना वैध लाईसेन्स एल.पी.जी. का अवैध भण्डारण करना पाया गया। मौके पर पाए गए 08 गैस सिलेंडरो मय 91.500 किग्रा. एलपीजी एवं रबर ट्युब रेग्युलेटर लगी मोटर को जब्त किया जाकर मैसर्स शहिद रामचन्द्र गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री बंसीलाल/नानाजी मीणा को सुपूर्दगी में दिये गये एवं पाबंद किया गया कि उक्त सामग्री को गैस गौदाम में सुरक्षित रखे एवं सक्षम अधिकारियों एवं न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। श्री वैभव जैन पुत्र श्री कनकमल जैन द्वारा 8 घरेलु सिलेण्डरों में 91.500 किलो ग्राम गैस बिना वैध लाईसेन्स भण्डारण करना पाया गया, एवं रबर ट्युब रेग्युलेटर लगी मोटर पायी गई जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1ख, 1ग, 2ख), 4(क), 7(ग) का उल्लघंन होने के साथ ही द्रवित पेट्रोलियम अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:03:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाँसवाड़ा (राज.)

इस प्रकार प्रवर्तन निरीक्षक बॉसवाडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा लिक्यूफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन आफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 प्रस्तुत कर मौके से जप्त 8 गैस सिलेण्डर मय 91.500 किलो ग्राम गैस एवं रबर ट्युब रेग्युलेटर लगी मोटर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 18.05.2022 को अप्रार्थी की ओर से श्री हीरालाल जैन, श्री भूपेन्द्र जैन, श्री भूषण जैन, श्री नीरज पटेल अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ एवं जवाब हेतु समय चाहा गया।

दिनांक 24.06.2022 को अप्रार्थी के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नही करते हुए सिधे बहस हेतु निवेदन किया। जिस पर उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने कथन किया कि चेतक कॉम्प्लेक्स में दुकान नं. 16 में बालाजी ऑटो गैस नामक दुकान संचालित है। उक्त फर्म पर वाहनो में अवैध रुप से एलपीजी भरने की शिकायत के आधार पर निरीक्षण करने पर 8 घरेलु सिलेण्डर मय एलपीजी एवं एलपीजी सिलेण्डरो से वाहनो में ट्रांसफर करने में उपयोग में ली जाने वाली रबर ट्युब एवं रेग्यूलेटर लगी मोटर पाई गई। उक्त सिलेण्डर के बारे में श्री वैभव जैन द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया। जिस पर उक्त 8 गैस सिलेण्डर मय 91.500 किलो ग्राम गैस एवं रबर ट्युब रेग्युलेटर लगी मोटर जब्त करने की कार्यवाही की गई है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा लिक्यूफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन आफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 स्वीकार कर मौके से जप्त 8 गैस सिलेण्डर मय 91.500 किलो ग्राम गैस एवं रबर ट्युब रेग्युलेटर लगी मोटर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थी किसी प्रकार से गैस भण्डारण का काम नही करता है। पाये गये गैस सिलेण्डर अमुख व्यक्तियों के है। समस्त गैस सिलेण्डरो को राजसात करने के सन्दर्भ में अप्रार्थी द्वारा अनापत्ति व्यक्त की।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से मय 8 गैस सिलेण्डर मय 91.500 किलो ग्राम गैस एवं रबर ट्युब रेग्युलेटर लगी मोटर मैसर्स बालाजी ओटो गैस, चेतक कॉम्प्लेक्स, बॉसवाडा (राज.) पर पाये जाने से अप्रार्थी द्व[illegible] रूप से गैस सिलेण्डरों का भण्डार किया जाना पाया गया। चूंकि एल.पी.जी. [illegible] ज्वलनशील [illegible] है इसलिए प्रकरण के अन्तिम निस्तारण से पूर्व हम इनका अन्तरिम नि[illegible] समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:03:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

अतः जब्त शुदा 8 गैस सिलेण्डर मय 91.500 किलो ग्राम गैस एवं रबर ट्युब रेग्युलेटर लगी मोटर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें। जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा यह सुनिश्चित करे कि सक्षम न्यायालय द्वारा इन सिलेण्डरो को मांगे जाने पर उपलब्ध करायेंगे।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:03:37 IST
Reason: SelfAttested